(68)

9/10/91

SIDHI (M.P.)

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

R. 88-T

CP Rs. 17-60/1991

R-1952-III/03

196-IV

25-10-91

copy 25/10/91

हिन्छा राम तनय राज मणि साo समुआर
उम्र 50 वर्ष पेशा खेती थाना वजिगमी तहसील
जिला - सीधी मo प्रo ———— आवेदक

बनाम

शासन मo प्रदेश ———— अनावेदक

COURT FEE 2 Rs. भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES

निगरानी विरुद्ध आदेश
अतिo आयुक्त रीवा संभाग
रीवा प्रo क्रo 81/85×86 दिनांक
25/7/91
अन्तर्गत धारा 50 मoभूoराo संo

presented by Shri Hinchha Ram s/o Semuyar Tahsil Chitrangi applicant
on 9/10/91
9/10/91
Superintendent Collectorate, SIDHI

निगरानी के निम्न आधार हैं:

1 कि अधिनस्थ न्यायालयों का
आदेश विधि, प्रकृया एवं सहज न्याय
के विपरीत होने से निरस्त किये जाने
योग्य है।

2 यह कि प्रकरण में उपलब्ध मूल
पट्टा लगान की रसीदें एवं सन् 1954
का एवं अन्य अभिलेख तथा गवाहों
बयान से यह बात भली भांति सि
है कि आवेदक ...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1952–तीन/2003 जिला –सीधी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-6-2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण 8/1985–86 में पारित आदेश दिनांक 25.07.1991 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2/ प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि ग्राम सेमुवार की विवादित भूमि खसरा न0 23 रकबा 1.29 रकबा 2 न0 73 रकबा 3 एकड़, 129 रकबा 7 एकड़, न0 103 रकबा 8 एकड़ तथा नं0 2 रकबा 3 एकड़, कुल किता 6 का क्षेत्रफल 24 एकड़ के पट्टे पर आवेदक द्वारा पटवारी अभिलेख में नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन–पत्र अनुविभागीय अधिकारी देवसर के समक्ष दिया गया । प्रकरण पंजीबद्ध किया गया । अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 27.09.76 को आवेदक का आवेदन अस्वीकार कर दिया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने प्रथम अपील अपर कलेक्टर सीधी के यहाँ प्रस्तुत की जिसमें दिनांक 30.10.83 को अपील खारिज की गई । उक्त आदेश दिनांक 30.10.83 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा के यहाँ प्रस्तुत की गई । न्यायालय अपर आयुक्त में प्रकरण की सुनवाई के दौरान दिनांक 29.05.84 को प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया गया । जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की । न्यायालय राजस्व मण्डल ने अपर आयुक्त रीवा के आदेश को निरस्त करते हुये दिनांक 03.07.1985 को इन निर्देशों के साथ प्रकरण प्रत्यावर्तित किया	

कि आवेदक को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये तथा प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर किया जाना चाहिये । न्यायालय अपर आयुक्त रीवा के यहाँ प्रकरण पंजीबद्ध किया गया तथा दिनांक 25.07.1991 को अपील अस्वीकार की गई । अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 25.07.1991 से दुखी होकर ओवदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह बताया है कि, प्रकरण में उपलब्ध भूमि पट्टा, लगान की रसीदें एवं सन् 1954–55 का एवं अन्य अभिलेख तथा गवाहों के बयान से बात भली–भांति सिद्ध है कि आवेदक विवादित भूमियों के गैर हकदार से काश्तकार की हैशियत से स्वामी हम प्राप्त कर चुका है परन्तु अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण में उपलब्ध जैविब व मौखिक साक्ष्य का विपरीत अर्थ लगाकर आवेदक के विरूद्ध निर्णय देने में भूल की है । राजस्व मण्डल के पूर्व निर्णयों के अनुसार वर्ष 1954–55 एवं उसके पूर्व विवादित आराजी पर आवेदक का स्वत्व प्राप्त है व ऐसी स्थिति पर स्वत्व व कब्जा प्राप्त होने पर भी शासकीय अभिलेखों में पट्टा इन्द्राज न करने की भूल की है । उन्होंने तर्क में यह भी कहा है कि अधीनस्थ न्यायालय का सन्देहों पर आधारित यह निष्कर्ष कि आवेदक का पट्टा लगान न चुकाने कारण निरस्त हो चुका है इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिये अधीनस्थ न्यायालयों को प्रमाण एकात्रित करना आवश्यक था, परन्तु बिना किसी आधार के पवाईदार के दिये हुये पट्टे को केवल इस बात पर रद्द कर देना कि लगान न चुकाने के कारण पट्टा रद्द हो गया होगा । विधि के मंशा के विपरीत होने से न्यायिक निष्कर्ष न होने से अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाने योग्य

P.T.O.

है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश दिनांक 30.10.83, 27.09.76 एवं 25.07.91 निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार की जावे ।

4/ आवेदक के अधिवक्ता के तर्क सुने गये एवं अधीनस्थ न्यायलयों के अभिलखों का अवलोकन किया गया । जिससे यह स्पष्ट होता है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी देवसर को दिनांक 20.06.75 को संहिता की धारा 57(2) के अन्तर्गत पटवारी अभिलेख में नाम दर्ज करने हेतु आवेदन दिया। अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.09.76 के अनुसार आवेदन निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सीधी के न्यायालय में अपील दायर की गई जो दिनांक दिनांक 30.10.83 को खारिज हो गई । इसके पश्चात् आवेदक द्वारा अपर आयुक्त रीवा के यहॉ अपील पेश की गई । यहॉ पर भी अपील अदम पैरवी में खारिज हो गई । इसके विरूद्ध आवेदक द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल में अपील प्रस्तुत किया गया। जिसमें आदेश दिनांक 03.07.85 को प्रकरण प्रत्यावर्तित कर निर्देश दिये गये कि आवेदक को सुनकर प्ररकरण का निराकरण गुण—दोष के आधार पर किया जावे । अधीनस्थ न्यायालयों का आदेश उचित होने के कारण उसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है । उपरोक्त तर्को के साथ अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के प्रकरण का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि आवेदक का पट्टा सम्बत् 2005 का बताया गया है जो वर्ष 1948 का हो सकता है और आवेदक पटवारी अभिलेख में नाम दर्ज कराने का आवेदन दिनांक 20.06.75 को दिया था जो लगभग 17 साल बाद का है । सन् 1948 के बाद केवल एक बार थोड़े से भूमि क्षेत्र वर्ष 1968—69 में पाया जाता है जबकि केवल पट्टा 24 एकड़ का

P.T.O.

दर्शाया गया है इससे पहले या उसके बाद आवेदक का किसी वर्ष में भी कुल 24 एकड़ पर पटवारी अभिलेख में इन्द्राज नहीं पाया जाता । बल्कि अन्य लोगों के नाम कागजात के कालम में पाये जाते है । जहाँ तक आवेदक के ये तर्क है कि लगातार सन् 1948 से उसका कब्जा होने से भी वह स्वयं में भूमिस्वामित्व स्वत्व प्राप्त कर लेता है इस बाबत् आवेदक द्वारा कब्जा होने का कोई ठोस प्रमाण इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किये गये है । प्रश्नाधीन भूमि पर अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने कब्जा नहीं पाया है, और न ही आवेदक कब्जा सिद्ध नहीं कर सका है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सीधी के आदेश दिनांक 30.10.83 एवं अपर आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 25.07.91 समवर्ती निष्कर्ष है, जिसमें हस्तक्षेप का अधार नहीं है । अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश को यथावत रखते हुये निगरानी खारिज किया जाता है। आवेदक चाहे तो व्यवहारवाद दायर कर सकता है ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य